फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कोतवाली मोहम्मदाबाद

दिनांक :- 14.07.2026

कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 234/26 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में मु0अ0सं0 234/2026 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त श्याम सिंह उर्फ रामू पुत्र स्व0 रामदास निवासी ग्राम रोहिला थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार किया गया तथा अभि0 की निशादेही पर मृतक रामदास की बनियान सफेद रंग की खून से सनी बरामद कर अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. श्याम सिंह उर्फ रामू पुत्र स्व0 रामदास निवासी ग्राम रोहिला थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण- दिनांक 12/13.07.2026 की रात्रि में अभि0 श्याम सिंह उर्फ रामू उपरोक्त द्वारा अपने पिता की हत्या कर देने के सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 13.07.2026 को मु0अ0सं0 234/2026 धारा 103(1) बीएनएस बनाम श्याम सिंह उर्फ रामू उपरोक्त पंजीकृत हुआ । विवेचना के क्रम में अभियुक्त श्याम सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण – पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि पुत्री के विवाह में अधिक खर्च होने के कारण वह आर्थिक तंगी एवं कर्ज से परेशान था तथा अपने पिता से जमीन बेचकर रुपये देने की मांग कर रहा था। दिनांक 12/13.07.2026 की रात्रि में रुपये मांगने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद अभियुक्त ने गुस्से में प्लास्टिक की कुर्सी से अपने पिता पर कई वार कर उनकी हत्या कर दी। घटना के बाद उसने खून से सनी बनियान को घर के सामने घूर पर फेंक दिया और फरार हो गया। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त की निशानदेही पर उक्त खून से सनी बनियान बरामद की गई।

बरामदगी का विवरण-

मृतक की सफेद रंग की बनियान खून से सनी

अभियुक्त श्याम सिंह उर्फ रामू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 234/26 धारा 103(1) बीएनएस कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ ।
2. अन्य थानाजात से जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री मदन मोहन चतुर्वेदी
2. निरीक्षक श्री मुन्नालाल
3. का0 मनीष
4. रि0का0 अजयपाल
5. रि0म0आ0 राखी

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना कमालगंज

दिनांक - 14.07.2026

थाना कमालगंज पुलिस पॉक्सो एक्ट के 03 अभियोगों में 03 वांछित अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 144/2026 धारा 137(2)/351(2) /87/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट, मु0अ0सं0 204/2026 धारा 137(2)/351(2) /87/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट तथा मु0अ0सं0 369/2025 धारा137(2)/87/64(1) बीएनएस व 5J(II)/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त क्रमशः निखिल, आलोक तथा करन को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण – थाना कमालगंज पर वादी/वादिनी द्वारा दी गई तहरीर वादी/वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में वादी/वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना कमालगंज पर मु0अ0सं0 144/2026 धारा 137(2)/351(2) /87/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट बनाम निखिल पुत्र भब्बल ठाकुर निवासी ग्राम अखमेलपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़, मु0अ0सं0 204/2026 धारा 137(2)/351(2)/87/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट बनाम आलोक पुत्र अमरनाथ उर्फ भूरे निवासी ग्राम कैथलनगला नोली थाना छिवरामऊ जनपद कन्नौज तथा मु0अ0सं0 369/2025 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस व 5J(II)/6 पॉक्सो एक्ट बनाम करन पुत्र वीरभान निवासी मिर्जा नगला थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में पीडिता/अपहृता की सकुशल बरामदगी कर बयान वादी, निरीक्षण घटनास्थल, बयान पीडिता/अपहृता आदि साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोगो में क्रमशः अभियुक्त निखिल पुत्र भब्बल ठाकुर निवासी ग्राम अखमेलपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़, आलोक पुत्र अमरनाथ उर्फ भूरे निवासी ग्राम कैथलनगला नोली थाना छिवरामऊ जनपद कन्नौज तथा करन पुत्र वीरभान निवासी मिर्जा नगला थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त निखिल उपरोक्त का अपराधिक इतिहासः-

01. मु0अ0सं0 144/2026 धारा 137(2)/351(2)/87/65(1) बीएऩएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त आलोक उपरोक्त का अपराधिक इतिहासः-

01. मु0अ0सं0 204/2026 धारा 137(2)/351(2)/87/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त करन उपरोक्त का अपराधिक इतिहासः-

01. मु0अ0सं0 369/2025 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस व 5J(II)/6 पॉक्सो एक्ट थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना कमालगंज पुलिस टीमः-

01. उ0नि0 श्री सुभाषचन्द्र
02. हे0का0 प्रदीप कुमार
03. का0 रुकुमकेस
04. का0 अतुल अत्री
05. उ0नि0 कमलेश कुमार
06. हे0का0 सोनू कुमार
07. का0 अजय कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट - थाना शमसाबाद

दिनांक - 14.07.2026

थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 127/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को चोरी की गई मोटरसाइकिल सहित किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री युमना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना शमसाबाद पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 127/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 सियाराम निवासी मोहल्ला जटपुरा कस्बा व थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ को चोरी की गई मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

01. महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 सियाराम निवासी मोहल्ला जटपुरा कस्बा व थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ ।

घटना का विवरण:- थाना शमसाबाद पर वादी श्री अनिल कुमार पुत्र रामौतार निवासी पहाडपुर बैरागर थाना शमसाबाद जनपद फर्रुखाबाद द्वारा लिखित तहरीर बाबत वादी की मोटरसाइकिल HF डीलक्स चोरी हो जाने के संबंध मे दी गई थी जिसके आधार पर थाना शमसाबाद पर मु0अ0सं0 127/2026 धारा 303(2) बीएनएसएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त महेन्द्र कुमार उपरोक्त को चोरी की गई मोटर साइकिल HF डीलक्स सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएसएस की बढोत्तरी की कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त महेन्द्र उपरोक्त ने पूछताछ करने पर जुर्म से इकबाल करते हुए बताया कि साहब मैने यह मोटर साइकिल करीब 10-12 दिन पहले सरकारी अस्पताल शमसाबाद से चोरी की थी। चोरी करने के बाद यह मोटर साइकिल मैने अपने जानकार के घर पर अपनी मोटर साइकिल बताकर खड़ी कर दी थी, जिसे मै दो-तीन दिन बाद उसके घर से ले आया था । आज मै मोटरसाइकिल को ठिकाने लगाने की फिराक मे जा रहा था तभी आपने पकड़ लिया। मुझसे गलती हो गयी मुझे माफ कर दो।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 मोटर साइकिल HFडीलक्स

अभियुक्त महेन्द्र उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 127/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ।
2. मु0अ0सं0 325/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ।

गिरफ्तार करने वाली थाना शमसाबाद पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री सुरेश कुमार
2. का0 सोहित कसाना
3. रि0का0 हितेश कुमार
4. रि0का0 अभिषेक कुशवाहा

मीडिया सेल फतेहगढ़।